

अतारांकित प्रश्न संख्या : 190  
दिनांक : 28.02.2019  
प्रश्नकर्ता का नाम : सुश्री भावना गौड़  
विभाग का नाम : महिला एवं बाल विकास विभाग  
विभाग का पता : 1ए, पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110001

क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2015 से लेकर अब तक स्वीकृत की गई विधवा पेंशन का विवरण क्या है.	पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2015 से लेकर अब तक 1294 विधवा पेंशन स्वीकृत की गयी है। <u>विधवा पेंशन के सम्बन्ध में ब्यौसा :</u> अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक : 285 विधवा पेंशन स्वीकृत अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक : 304 विधवा पेंशन स्वीकृत अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक : 335 विधवा पेंशन स्वीकृत अप्रैल 2018 से अब तक : 370 विधवा पेंशन स्वीकृत कुल : 1294
(ख)	पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2015 से लेकर अब तक विधवा महिलाओं की लड़कियों को स्वीकृत की गई आर्थिक सहायता का विवरण क्या है.	पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2015 से लेकर अब तक कुल 95 विधवा महिलाओं की लड़कियों को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की है. <u>विवरण निम्नलिखित है:-</u> अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक : 32 आवेदन स्वीकृत अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक : 24 आवेदन स्वीकृत अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक : 22 आवेदन स्वीकृत अप्रैल 2018 से अब तक : 17 आवेदन स्वीकृत कुल : 95
(ग)	क्या यह सत्य है की पालम विधान सभा क्षेत्र में निराश्रित एवं तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दी जा रही है.	जी हाँ, यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में निराश्रित एवं तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दी जा रही है।
(घ)	यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या और	कुल 36 निराश्रित एवं तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी